न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

भू–राजस्व निगरानी संख्या– 06 /2014–15

श्री बुन्दु

बनाम

श्री युसुफ आदि

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सेना।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता राज्य सरकार : श्री राजवीर सिंह, जिला शास0अधि0(राजस्व)।

बावत

मौजा झबरेड़ी खुर्द, परगना भगवानपुर,
तहसील भगवानपुर, जनपद हरिद्वार।

निर्णय

यह निगरानी कलेक्टर, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–06 वर्ष 2010–11 अन्तर्गत धारा–28 भू–राजस्व अधिनियम बुन्दू बनाम सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 10–04–2015 के विरूद्व योजित की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है निगरानीकर्ता ने सजरे में दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र कलेक्टर, हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर ने प्रकरण में नायब तहसीलदार की आख्या प्राप्त की। विद्वान कलेक्टर ने वाद अपने निर्णयादेश दिनांक 10–04–2015 से इस विवेचना सहित निरस्त किया कि नायब तहसीलदार, रूड़की की आख्या स्पष्ट नहीं है। कलेक्टर, हरिद्वार के आदेश दिनांक 10–04–2015 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस विस्तार से सुनी एवं अवर न्ययालय के आदेश दिनांक 10–04–2015 का अवलोकन किया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता ने धारा–28 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सजरे में खसरा नम्बर 281 रकबा 0.1998 है0 का क्षेत्रफल कम दर्शाये जाने के कारण वाद कलेक्टर न्यायालय में योजित किया जिसमें वर्तमान सजरे में खतौनी के क्षेत्रफल के आधार पर पूर्व बन्दोबस्ती अभिलेख व पूर्व सजरों के अनुसार दुरस्ती की प्रार्थना की गई थी। कलेक्टर ने नायब तहसीलदार, रूड़की की आख्या प्राप्त की जिसमें नायब तहसीलदार ने नक्शे में त्रुटि होने का उल्लेख करते हुए खसरा नम्बर 281 की आकृति को पुरानै सजरे के स्वरूप में संशोधित करने की आख्या प्रेषित की। आख्या प्राप्त होने के बावजूद कलेक्टर ने यह निष्कर्ष देते हुए कि नायब तहसीलदार की आख्या स्पष्ट न होने के कारण वादी का वाद निरस्त होने योग्य है। तहसील से प्राप्त आख्या स्पष्ट है तथा उसके आधार पर नक्शा शुद्व किया जाना चहिए था किन्तु यदि कलेक्टर को यह प्रतीत हो रहा था कि आख्या में किसी प्रकार की कमी है तो आख्या के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता था तथा उसके पश्चात वाद को गुणदोष के आधार पर निर्णीत किया जाना चाहिए था परन्तु अवर न्यायालय ने सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है और गलत आधार लेकर वाद को निरस्त किया है। नक्शे में त्रुटि स्पष्ट थी और उसे दुरस्त किया जाना चाहिए था। निगरानी स्वीकार करने योग्य है और अवर न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है।

प्रतिउत्तरदाता राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) ने तर्क दिया कि प्रकरण को अवर न्यायालय को पुनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

मैंने अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 10–04–2015 का अवलोकन किया। विद्वान कलेक्टर के आदेश दिनांक 10–04–2015 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि नायब तहसीलदार, रूड़की की आख्या के अनुसार खसरा नम्बर–281 की आकृति त्रुटिपूर्ण दृष्टिगोचर हो रही है और शजरे में क्षेत्रफल भी मूल क्षेत्रफल से कम है। परन्तु विद्वान कलेक्टर ने मात्र यह आधार लेते हुए कि नायब तहसीलदार की आख्या स्पष्ट नहीं है और वादी/निगरानीकर्ता का दुरस्ती वाद निरस्त कर दिया। विद्वान कलेक्टर को चाहिए था कि यदि नायब तहसीलदार की आख्या स्पष्ट नहीं थी तो वे पुनः सुस्पष्ट आख्या प्राप्त करते और प्राप्त आख्या के आधार पर वाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण करते। निगरानी के साथ संलग्न आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि मानचित्र में वास्तव में त्रुटि है। यदि मानचित्र में त्रुटि दर्शित हो रही थी तो उसे दुरस्त करने का दायित्व भी कलेक्टर का है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा–28 के अनुसार भी जहां पर मानचित्र में किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि पाई जाती है वहां उसे दुरस्त किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही स्वीकार कर प्रकरण विद्वान कलेक्टर को पुनः विचारण हेतु इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है कि यदि नायब तहसीलदार की आख्या स्पष्ट नहीं है तो वे पुनः प्रकरण में सुस्पष्ट आख्या प्राप्त कर तद्नुसार वाद को विधि में निर्दिष्ट व्यवस्थाओं के अनुरूप गुणदोष के आधार पर निस्तारण करें।

आदेश

निगरानी स्वीकार की जाती है एवं कलेक्टर, हरिद्वार का आदेश दिनांक 10–04–2015 निरस्त कर प्रकरण कलेक्टर, हरिद्वार को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त निर्णयादेश में दी गई विवेचना के आलोक में वाद का गुणदोष के आधार पर एक माह अन्दर निस्तारण सुनिश्चित करें। पत्रावली सँचित हो।

(आकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 09/06/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(आकेश शर्मा)
अध्यक्ष।